दिनांक 15.10.2012 बोर्ड बैठक, नगर पालिका परिषद फतेहपुर

बिन्दु सं0 1 – प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित, सर्वसम्मति से कहा गया कि विद्युत सामग्री एवं उपकरणों की खरीद प्रक्रिया पारदर्शी तथा सामग्री गुणवत्ता युक्त हो।

बिन्दु सं0 2 – छः वार्डों में सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट योजना के तहत कार्यवाही कराये जाने का प्रस्ताव पारित।

बिन्दु सं0 3 – बिन्दु सं0 3 के सम्बन्ध में परिषद में सभासदों से चर्चा हुई अन्त में यह निर्णय लिया गया कि ट्रान्सपोर्ट नगर योजना 05–06 जनहित व पालिका हित में अत्यन्त उपयोगी है अतः सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया, तथा प्रस्ताव पारित किया योजना को पुनः पालिका हित में कार्यन्वित कराया जाय।

बिन्दु सं0 4 – बैठक में चर्चा हुई सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से पारित किया गया।

बिन्दु सं0 5 – आगामी त्योहारों के दृष्टिगत चूने की खरीद पर चर्चा हुई अन्त में सर्वसम्मति से यह पारित किया गया कि अनुमानित 4.00 लाख का चूना तथा रू0 1.00 लाख का गेरू नियमानुसार क्रय करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।

बिन्दु सं0 6 – बैठक में व्यापक चर्चा हुई जिसमें नगर पालिका की भूमि गाटा सं0 1450 रकवा 0.219 जो सरस्वती विद्या मन्दिर के वगल में स्थित है पर नये शापिंग काम्प्लेक्स के निर्माण पर प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया गया।

बिन्दु सं0 7 – बैठक में सभासदों के मध्य चर्चा की गयी, यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया, भविष्य में वाहनों को खड़े करने परिषर का निर्माण तथा बाण्उड्री वाल का निर्माण किया जाना आवश्यक है। यह भमि पी0डब्ल्यू0डी0 निरीक्षण भवन के पीछे स्थित है। भूमि गाटा सं0 1266 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।

8. सम्पत्ति विभाग कमेटी

श्री गोपाल रस्तोगी – अध्यक्ष

1. श्री लाल मोहम्मद – सदस्य
2. श्रीमती सोमवती – सदस्य
3. श्रीमती माया पटेल – सदस्य
4. श्रीमती सरोज गुप्ता – सदस्य

9. कार्यालय प्रभारी श्री मुन्ना मौर्य।

कमेटी गठन पर सदन में चर्चा हुई जिसमें श्री विनय तिवारी(सभासद) ने कहा कि नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 104 में कमेटी बनाने के उल्लेख हैं जो धारा 112 के अधीन किसी समिति को प्रत्यायोजित किये जाये इस पर श्री आरिफ गुड्डा (सभासद) ने आपत्ति दर्ज कराते हुये कहा कि एक्ट के आधार पर विनियम (वाईलाज) बनाकर कमेटी गठित किया जाये पालिका के वाईलाज के अनुसार कमेटी बनाई जाये। अधिशाषी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि अधिनियम तथा उपनियम (बाईलाज) के अनुसार समितियों का गठन एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा मतदान प्रकिया द्वारा किये जाने की व्यवस्था है, जिस पर समितियों के गठन के सम्बन्ध में 18 सदस्यों के बहुमत द्वारा यह कहा गया कि इस बिन्दु पर निदेशक स्थानीय निकाय/आयुक्त इलाहाबाद मण्डल से विधिक मार्गदर्शन प्राप्त कर लिया जाये।

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका परिषद फतेहपुर

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक स्थानीय निकाय आठवां तल इन्दिरा भवन लखनऊ उ0प्र0।
2. आयुक्त इलाहाबाद मण्डल इलाहाबाद।
3. जिलाधिकारी फतेहपुर।
4. अध्यक्ष नगर पालिका परिषद फतेहपुर।
5. मान0 सांसद/विधायक (पदेन सदस्य)।
6. समस्त सभासद नगर पालिका परिषद फतेहपुर।
7. समस्त विभागाध्यक्ष नगर पालिका परिषद फतेहपुर।

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका परिषद फतेहपुर